न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 43/2013 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. ग्राम पंचायत गुदावली पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा सरंपच ग्राम पचांयत गुदावली तहसील कुम्हेर।

2. सुखवीर सिंह
3. देवीसिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र रूपकिशोर
2. रनवीरसिंह
3. रामवीरसिंह
4. धर्मवीर
5. राजू

} पुत्रान चरनसिंह

6. जयदेई वेवा चरनसिंह

} जाति जाट नि0 गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

7. भंवरसिंह पुत्र श्यामसिंह उर्फ किशनसिंह (मृतक)

7/1 उदयसिंह
7/2 लेखराज
7/3 दीवान

} पिस0 भंवरसिंह जाति जाट नि0 गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

8. भगवानसिंह
9. पूरनसिंह
10. तेजसिंह

} पुत्रान सुजानसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

11. फत्ते पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी गुदावली तहसील कुम्हेर भरतपुर।

12. हरीराम पुत्र भूरीसिंह जाति ब्राहमण
13. खुन्नी पुत्र भज्जूभाई परमाल

} निवासी गुदावली तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. रमेश
15. भजनलाल } पिसरान देवीसिंह
16. सुरेशचंद

17. खुन्नी पुत्र भज्जू जाति ब्राहमण
18. पूरनसिंह पुत्र विशनी
19. रामकटोरी पत्नी विशनी

20. मोहनसिंह } पुत्रान रामजीलाल
21. मदन

22. दुलारी वेवा रामजीलाल
23. वृजेन्द्र पुत्र मेढू

24. सूरज
25. रमनसिंह } पिसरान बाबू
26. शंकरसिंह

27. पदमसिंह पुत्र ननुआ
28. सोरनसिंह पुत्र ननुआ

29. हरवीर पुत्र खजान
30. बनेसिंह पुत्र खजान

31. वीरेन्द्र पुत्र उदयसिंह
32. सोनू पुत्र उदयसिंह (मृतक)
33. अंगूरी वेवा उदयसिंह

34. लटूर पुत्र लौहरे

35. मेघसिंह
36. सुखवीरसिंह } पिसरान चिरंजी
37. चरनसिंह
38. ओमप्रकाश पुत्र मानसिंह
39. मुख्त्यारी पत्नी मानसिंह
40. शेरसिंह पुत्र घनश्याम
41. सूरज पुत्र महेन्द्रसिंह } जाति जाट निवासी गुदावली
42. दीपक पुत्र महेन्द्रसिंह } तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
43. वती वेवा महेन्द्रसिंह

निवासी गुदावली
तहसील कुम्हेर
जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

44. शेरखां पुत्र वजीर जाति मुसलमान नि0 गुदावली तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

45. गिर्राजसिंह पुत्र लहरसिंह
46. रघुवीरसिंह पुत्र लहरसिंह
47. चिरौंजा वेवा लहरसिंह

} जाति जाटव निवासी गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 23.7.1971 नामान्तरकरण संख्या 163 ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री महाराजसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।

2. श्री नीरपालसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।

दिनांक : 30.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायब तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 23.7.1971 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से रैस्पोडेन्टस के हक में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 23.7.1971 को स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत नायब तहसीलदार कुम्हेर का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 23.7.1971 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 263/12.09 वाकै ग्राम गुदावली तहसील कुम्हेर सार्वजनिक पोखर की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन कानूनन प्रतिबन्धित है। तहत अदालत ने उत्तरबादीगण को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने में भारी त्रृटी की है। उत्तरबादीगण को न तो आवंटन हुआ है

न ही उनके द्वारा कभी काश्त की गई है। विवादित भूमि पोखर की भूमि है। जो सार्वजनिक हित के काम आने वाली है। खसरा नम्बर 14 व 16 की प्रविष्ठियां भी असत्य है जिसके हुक्म से अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार कुम्हेर को पोखर की भूमि पर आदेश देने का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। उनके द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर तहत आदेश पारित किया गया है। पोखर की भूमि पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकारों की भुजा नियत है। इसलिऐ पोखर की भूमि पर किया गया आवंटन कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। आदेश तहत बने रहने से सार्वजनिक हिता पर विपरीत प्रभाव पडता है। विवादित जमीन पोखर की है जो मवेशी के पानी पीने के काम आती है। इसलिऐ अपीलार्थी परिवेदित है और अपील कर रहे है। इस अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 24.9. 2008 को लेकर पटवारी हल्का ने इस संबध में दिनांक 10.9.09 को अपील प्रस्तुत करने हेतु कहा है इसलिऐ यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है । वैसे आदेश क्षेत्राधिकार से परे है इसलिऐ शून्य है अवधि का कोई व्यवधान नहीं है फिर भी धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 23.7.1971 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.7.1971 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार 8.5.1968 के आदेश से भरा गया है। इसके अलावा अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है न तो वह इस आदेश से परिवेदित है न ही तहत अदालत में पक्षकार रहे हैं और न ही वह सरपंच है और न ही लोक सेवक और न ही उक्त आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम आ रही है फिर उनके द्वारा किस हैसियत से अपील पेश की गई है समझ से बाहर है। बाबजूद इसके यह अपील 38 साल बाद पेश की गई है और आज इस अपीलाधीन आदेश को पारित हुये लगभग 46 वर्षों का एक लम्बा अर्सा गुजर चुका है। करीब 38 साल बाद इतनी देरी से अपील पेश करने का भी अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया जो एक असाधारण बिलम्ब है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिऐ यह अपील मियांद बाहर भी है। उनकी अपील में अंकित सभी तथ्य मनगंढत है। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी रैस्पोडेन्टस के पूर्वजों को सैंकडों सालों के कब्जे के आधार पर ही आवंटित की गई थी और पचासों सालों से पूर्वजों के समय से ही रैस्पोडेन्ट वहैसियत खातेदार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में भी लम्बे समय से रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। मौके पर न तो कभी पोखर थी और न ही आज है और न ही कोई पानी का बहाव बाधित है इस बाबत अपीलान्ट चूंकि ग्राम के ही वासिन्दे है इन्हें पूर्ण जानकारी है बाबजूद इसके गलत तथ्यों पर अपील पेश की गई है। इसके अलावा वकील रैस्पोडेन्ट का तर्क है कि जब तक मूल आवंटन आदेश जिससे आधार पर रैस्पोडेन्ट के हक में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है वह आस्तित्व में रहता है तब तक नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट ने अपील मियाद बाहर होने एवं अपीलान्ट को अपील प्रस्तुतीकरण का कोई लोकसस्टैण्डाई न होने तथा मूल आवंटन आदेश आज दिनांक तक आस्तित्व में बने रहने के मध्यनजर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तरकरण संख्या 163 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा दिनांक 23.7.1971 को हुक्मन आदेश दिनांक 8.5.1968 के आधार पर रैस्पोडेन्टस के हक में स्वीकृत किया गया है। जैसा कि अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 163 के कॉलम संख्या 16 से स्पष्ट जाहिर है। अपीलान्ट अपनी अपील में यह कहते हुये आये है कि विवादित भूमि पोखर की है जो सार्वजनिक हित की है जिसका आवंटन/नियमन रैस्पोडेन्ट के हक में किया जाकर जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये है वे गलत है। इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। अपील प्रस्तुतीकरण में हुये बिलम्ब के संदर्भ में उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत किया गया है उसमें अंकित तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होते है। करीब 38 साल बाद इस अपीलाधीन नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश की जानकारी अपीलान्ट को होना तब जबकि अपीलान्ट उसी गांव का मूल निवासी हो स्वीकार योग्य नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त नियमों के अंतर्गत 75 एल0आर0एक्ट की अपील के माध्यम से किसी खातेदार की खातेदारी अधिकारों को निरस्त किये जाने का प्रावधान होने का भी कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संतोषजनक आधार अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी जनसाधारण के उपयोग में काम आने का भी कोई ठोस प्रमाण अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस बाबत ग्रामवासीयान अथवा कोई सरकारी संस्था भी उनके साथ इस प्रकरण में पक्षकार नहीं रही है। इसके अलावा अपीलान्ट का विवादित भूमि में न तो कोई हित समाहित है न ही वे तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा रहे है। रैस्पोडेन्टस के हक में स्वीकृत हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 23.7.1971 को आज करीब 46 साल का एक लम्बा अर्सा गुजर चुका है। वास्तव में हमारी विनम्र राय में जब तक हुक्मन आदेश दिनांक 8.5.1968 को चुनौती दिया जाकर समाप्त नहीं कर दिया जाता अर्थात जब तक हुक्मन आदेश आस्तित्व में रहता है उसके आधार पर स्वीकृत हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण को 46 साल के एक लम्बे अर्से के बाद निरस्त किया जाकर किसी भी काश्तकार के खातेदारी अधिकारों को यूं 75 एल आर एक्ट की अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना हमारे ख्याल से न्यायोचित नहीं रहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के संदर्भ में यदि कोई दौराने निरीक्षण अनियमितता पायी जाती है तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में रैफरेंस प्रस्तावित किये जाने के विस्तृत प्रावधान दिये गये है जिनके लिये भूमिधारी संबधित तहसीलदार पूर्ण रूपेण सक्षम रहते है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना हित समाहित किसी अन्य काश्तकार के खातेदारी अधिकारों को 75 एल आर एक्ट की अपील के माध्यम से निरस्त कराने का आधिकारी नहीं रहता है। इससे अलावा यदि देखा जाये तो नामान्तरकरण की अपील में केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण की वैद्यता पर विचार किया जाना होता है न कि उस आधार का परीक्षण किया जाना जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया है। अपीलान्ट यदि उक्त आधार/हुक्मन आदेश से व्यथित है तो वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतन्त्र रहता है। भू राजस्व अधनियम की धारा 75 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई अपील के माध्यम से किसी के 45–46 साल पुराने खातेदारी अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाकर प्रभावित नहीं किया जा सकता। खातेदारी अधिकारों की वैद्यता नियमित वाद के दौरान नियमानुसार पूर्णरूपेण परीक्षणोपरान्त ही तय किया जा सकता है। जो परीक्षण न्यायालय (TRIAL COURT) का दायित्व है न कि अपीलीय न्यायालय (APPELLATE COURT) का। ऐसी स्थिति में असाधारण बिलम्ब एवं बिना कोई ठोस आधार के प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज योग्य ही रहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार असाधारण लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त बिना कोई ठोस आधार के प्रस्तुत की गई यह अपील खारिज की जाती है। इस प्रकरण के इस तरह निस्तारण किये जाने के उपरान्त हमारा यह भी मानना है कि न्यायिक मंशा के मध्यनजर कहीं कोई शक शुवा न रहे इस लिहाज से तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर को हिदायत दी जाती है कि वे उक्त विवादित आराजी की जांच कर यदि कोई अनियमितता पाते है तो वहैसियत लैण्ड होल्डर बाद जांच कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(ओ0 पी0 जैन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर